

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
209/2024

दायरं दिनांक
20.05.2024

निर्णय दिनांक
11.06.2024


उनवान

1. सोहन बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति सालवी उम्र 66 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थी

बनाम

1. अमरचन्द बलाई पुत्र लालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज..
2. गोपी बलाई पुत्र लालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
3. जमना बलाई पुत्र भैरु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
4. पन्ना बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
5. भंवर बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज
6. रतन बलाई पुत्र मेघा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज
7. लोभा बलाई पुत्र रामा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज
8. गणेश बलाई पुत्र सोला बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी स्तनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज
9. मांगु पुत्र बालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज
10. लक्ष्मण पुत्र केशु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
11. हरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राज
12. नरेश्वर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राज


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

13. भुपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राज
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा राज.

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी उदय सिंह दरोगा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रतनपुरा प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 8 की अभिलिखित आराजियात 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5173 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनपुरा प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 8 की अभिलिखित आराजियात 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.5173 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खंडी न हो तो बन्दोवस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा